संख्या-1/वे0आ0-2-130/दस-62(एम)/2008

प्रेषक,

अजय अग्रवाल,
सचिव, वित्त,
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में,

(1) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन ।
(2) समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उ0प्र0।

वित्त (वेतन आयोग) अनु0-2 लखनऊ : दिनांक 21 फरवरी, 2014

विषय-वेतन समिति-(2008) की संस्तुतियों पर राज्य कर्मचारियों के लिए लागू सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए0सी0पी0) की व्यवस्था के संशोधन के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ए0सी0पी0 की व्यवस्था से संबंधित शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-2104/दस-62(एम)/ 2008टी0सी0, दिनांक 22 दिसम्बर 2011 सपठित संख्या-वे0आ0-2-561/ दस-62(एम)/2008 दिनांक 04मई, 2010 के प्रस्तर -1(2) i(ख) के परन्तुक के नीचे निम्नानुसार परन्तुक-2 का समावेश किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

"**परन्तुक-2**

परन्तु यदि सम्बंधित कार्मिक को प्रथम वित्तीय स्तरोन्न्यन के उपरान्त समान ग्रेड वेतन में प्रोन्नति प्राप्त होती है तो उसे प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन प्राप्त होने की तिथि से 06 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अगला ग्रेड वेतन अनुमन्य होगा।"

http://shasanadesh.up.nic.in

2- उपर्युक्त शासनादेश दिनॉक 22 दिसम्बर, 2011 तथा 04मई, 2010 इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा ।

भवदीय

(अजय अग्रवाल)
सचिव ।

पृष्ठांकन संख्या-1/वे0आ0-2-130(1)/दस-62(एम)/2008 तद दिनॉक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) -1 एवं 2 तथा (आडिट)-1 एवं 2, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
(2) प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश ।
(3) प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद,उत्तर प्रदेश ।
(4) महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ।

आज्ञा से

(मनोज कुमार जोशी)
विशेष सचिव ।

http://shasanadesh.up.nic.in